Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

वनाम

हेमराज पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी कानौर तहसील सूरतगढ़

किस्म मुकदमा:–रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्र0स0–40/2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19.10.2022	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार राज हाजिर। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध अप्रार्थी हेमराज के मृत्यु प्रमाण पत्र व ग्राम पंचायत भोजेवाला तहसील सूरतगढ़ द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र का अवलोकन करने से पाया कि अप्रार्थी हेमराज का देहान्त दिनांक 05.01.2011 को ही हो चुका हैं। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा हस्तगत रेफरेन्स दिनांक 31.01.2013 को मृतक के विरूद्व पेश किया गया है। मृतक के विरूद्व पेश किया रेफरेन्स कानूनन Nullity in law की श्रेणी में आता है। राजस्व (ग्रुप–7) विभाग के परिपत्र कमांक प. 3 (146) राज–7/2011 जयपुर, दिनांक 26.06.2012 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित भूमियों जैसे नदी, नाला, बांध, तालाब, जोहड के रूप में दर्शायी है तथा जिनके Water flow से उक्त जलाशयों में पानी पहुंचता है, में किये गये भूमि आवंटन/खातेदारी अधिकार निरस्त करने हेतु धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में रेफरेन्स कार्यवाही अमल में लायी जावे। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स अप्रार्थी संख्या 01 को किये गये आवंटन के विरूद्व पेश किया है जिसके साथ मात्र जमाबंदी संवत् 2067–70 की फोटोकॉपी पेश की हैं। जबकि किसी आदेश के विंरूद्व वाद पेश करते समय उस आदेश की प्रमाणित प्रति/मूल पत्रावली की प्रमाणित प्रति पेश की जानी चाहिए। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स अधूरा पेश किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 में प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए हस्तगत रेफरेन्स तहसीलदार सूरतगढ़ को इस आशय के साथ वापिस लौटाया जाता है कि वे राजस्व रिकार्ड का भली भांति अवलोकन कर राजस्व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति अनुसार अप्रार्थी के वारिसान की पूर्ण जांच कर सही पते सहित पुनः वारिसान के नाम से सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स पेश करे। आदेशिका की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।	

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 12:03:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner